UPGK010023992026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (रेप एण्ड पाक्सो) कोर्ट सं०- 2, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1016/2026

अब्दुल कलाम पुत्र मुमताज अली, उम्र-58 वर्ष लगभग, निवासी ग्राम-रानीडीहा, महादेव झारखण्डी, टुकड़ा नं0-2 जंगल सिकरी, थाना-एम्स, जिला-गोरखपुर।

--------आवेदक/ अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार --------विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या- 517/ 2024
अन्तर्गत धारा- 419, 420, 467, 468, 471,120-B,504,506 भा०दं०सं०
थाना- गीडा, जनपद- गोरखपुर।

<u>दिनांक-19-03-2026</u>

1. आवेदक/अभियुक्त अब्दुल कलाम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या- 517/ 2024 धारा- 419, 420, 467, 468, 471, 120-B, 504, 506 भा०दं०सं० थाना- गीडा जनपद- गोरखपुर के मामले में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथकर्ता वकार युनुस द्वारा इस आशय का शपथपत्र दाखिल किया गया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व किसी अन्य न्यायालय में अन्य जमानत प्रार्थना पत्र लंबित नहीं है और न ही दाखिल है और ना ही निस्तारित हुआ है।

2. वादी मुकदमा ने इस आशय की तहरीर थाना पर दिया है कि प्रार्थी के पैतृक ग्राम हरैया के आराजी नं0-745 में प्रार्थी के पिता का 1/2 हिस्सा रकबा 35 डिसमिल पूर्व में था। शेष 1/2 भाग यानी 17.5 डिसमिल का रजिस्टर्ड बैनामा हम प्रार्थी की माता जबीबुन निशा ने अपने जेठ हामिद पुत्र स्व सहतू से दिनांक 09.03.2007 को कराकर नामान्तरण आदेश के बाद से ही काबिज दाखिल है। उपरोक्त जगीन् गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है। हम प्रार्थी के गांव में दौरान चकबन्दी पारस यादव व विन्देश्वरी यादव पुत्रगण राम बहाल एवं राम बहाल पुत्र स्व बृजलाल व अब्दुल कलाम पुत्र स्व मिठाई व अनवर अली व आलमगीर पुत्रगण स्व मोहम्मद सुल्तान् समसुद्दीन, मल्लू पुत्रगण स्व मो हासिम, पुरुषोत्तम मिश्रा पुत्र स्व गिरिजा प्रसाद, बट्टू पुत्र स्व मोलही, जाबिर व साजिद पुत्रगण स्व गुल्लू ने फर्जी कागज तैयार कराकर धोखाधड़ी व जालसाजी से हेरा-फेरी करते हुए हमारी बैनामा सुदा व पैतृक जमीन हड़पने के क्रम में बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी गोरखपुर को धोखा देते हुए फर्जी सुलहनामा बनाकर प्रस्तुत कर दिया है। कूटरचित सुलहनामें की प्रति संलग्नक 1 है। उक्त फर्जी सुलहनामें में मृतक मंगरू पुत्र करीम बक्श को जीवित दर्शा दिया गया है, जो कई दशकों पूर्व ही मृतक हो चुके है। साथ ही हम प्रार्थी के मृतक पिता व बड़े पिता को भी पक्षकार बनाकर प्रार्थी के बडे पिता हामिद के उत्तराधिकारी के रूप में वास्ते हामिद लिखकर हम प्रार्थी का भी फर्जी हस्ताक्षर बनाकर दाखिल किया है। मंगरू के अरसे पूर्व मृतक होने के बावत कागजात की प्रति संलग्नक 2 है। उक्त कूट रचित व फर्जी सुलहनामें के आधार पर एक आदेश दिनांक 04.06.2016 को पारित कराकर उसके आधार पर हम प्रार्थी की पैतृक व बैनामा सुदा जमीन गाटा सं0-745 रकबा 35 डिसमिल को अब्दुल कलाम व मकबूल के साजिश से पारस व विन्देश्वरी ने नाम से ट्रान्सफर करा लिया है। उक्त आदेश को अभियुक्तगण द्वारा वर्षो तक छिपाये रखा गया, जिस पर हम प्रार्थी वर्षों से पुस्त दर पुस्त काबिज दाखिल भी हैं। दिनांक 10.03.2023 को अपनी जमीन पर खेती बारी करने के उद्देश्य से गया तो सभी लोग एक राय होकर आये और माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे जब हम

प्रार्थी ने गाली गुप्ता देने से मना किया तो उपरोक्त सभी लोग हम प्रार्थी को मारने पीटने की नीयत से दौड़ा लिये तब हम प्रार्थी मौका देख वहाँ से भागे तो ये लोग बोले कि साले आज तो बच गये फिर कभी जमीन पर आये तो जान से मारकर खत्म कर देंगे। यह जमीन अब हम लोगों की हो चुकी है। हम लोगो ने लाखो रूपया खर्च करके अपना नाम चढवाया है। उक्त घटना को मोहम्मद आरिफ खान व बृजराज व अन्य लोगो ने देखा व बीच बचाव किया। उल्लेखनीय है कि अब्दुल कलाम व उनके पट्टीदारों की जमीन विन्देश्वरी व पारस यादव के बाग वाले जमीन में चकबन्दी के दौरान जा रही थी। साजिश के तहत प्रार्थी को गरीब व कमजोर जानकर आपराधिक सांठ-गाँठ करके मकबूल व अब्दुल कलाम द्वारा सीमांकन व कब्जा हेतु आवेदन किया गया, जिसमें प्रार्थी के आराजी की भूमि का कोई उल्लेख नहीं था। जब चकबन्दी अधिकारी ने उनके चकों का समय सीमांकन व कब्जा हेतु आवेदन किया गया जिसमें प्रार्थी के आराजी की भूमि का कोई उल्लेख नही था जब चकबन्दी अधिकारी ने उनके चकों का समय सीमांकन कर दिया तो साजिश के तहत अब्दुल कलाम के चाचा मकबूल द्वारा अपील दाखिल करते हुए प्रार्थी का गाटा सं0-745 फर्जी सुलहनामें के आधार पर विन्देश्वरी व पारस यादव के नाम कर दिया। साथ ही पुरुषोत्तम मिश्रा को भी साजिश में लेकर अब्दुल कलाम द्वारा अपना हिस्सा अदला-बदली कर लिया गया। सुलहनामे में आश्चर्य जनक ढंग से मृतक स्व 0 मंगरू, स्व 0 हामिद व स्व 0 हासिम को भी पक्षकार बना दिया गया है। जानकारी होते ही प्रार्थी ने इस घटना की सूचना उसी दिन स्थानीय थाना-गीडा में दिया। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी। तद्नुसार मुकदमा पंजीकृत किया गया।

3. जमानत प्रार्थना पत्र में आवेदक/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त बेकसूर है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी को प्रस्तुत मामलें में पूर्णतः फर्जी व असत्य कथनों व साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तुत मामले में संलिप्त किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये धारा 156 (3) दं०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र के पैरा नं0-2 में आराजी नं0-745 का उल्लेख किया गया है, इस आराजी नं0-745 के उद्धरण खतौनी में उक्त आराजी से प्रार्थी/अभियुक्त अब्दुल कलाम का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और न ही उक्त आराजी से प्रार्थी का हितवध्यता ही है। सन्दर्भित मामलें में दर्शित सुलहनामा की तिथि का कोई उल्लेख भी नहीं है। प्रस्तुत मामलें में प्रश्नगत सुलहनामा के सन्दर्भ में पारित न्यायालय बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी के आदेश को रिकाल किये जाने के प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने समुचित नहीं पाते हुए निरस्त कर दिया गया था, जिसके विरूद्ध रिविजन सं0-1169/2023 श्रीमान् उपसंचालक चकबन्दी गोरखपुर के न्यायालय में लम्बित है तथा जेर कार्यवाही है। इस प्रकार यह पूर्णतः स्पष्ट है कि यह मामला सिविल मैटर का है, जो जमीन के स्वामित्व से सम्बन्धित है। इसी मामलें के अन्य अभियुक्त पारस यादव व विन्देश्वरी यादव के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के विरूद्ध आराधिक रिट पेटिशन संख्या-20608/2024 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा उक्त अभियुक्तों पारस यादव व विन्देश्वरी यादव की गिरफ्तारी आरोप पत्र के दाखिल होने तक रोक लगाया गया था तथा प्रस्तुत मामलें में उक्त अभियुक्तगण के द्वारा आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद धारा-528 BNSS में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सं0-31327/2025 में भी "No coercive action shall be tackin against the applicant in the aforsaid case" का आदेश पारित है। बन्दोवस्त न्यायालय जहाँ दर्शित सुलहनामा दाखिल होना कहा गया है, उस न्यायालय के द्वारा सन्दर्भित सुलहनामा के विषय में कोई आपराधिक कार्यवाही प्रोसिड नहीं किया गया है। दर्शित मंगरू से वादी का कोई मतलब व सरोकार नहीं है। वादी मुकदमा एक जमीन का डीलर है, स्थानीय पुलिस पर दबाव बना करके अपना हित साधने की गरज से यह मामला दर्ज कराया गया है। सन्दर्भित मामलें में मृतक मंगरू पुत्र करीम वक्श की मृत्यु का कोई निश्चित तिथि भी नहीं है, महज अनुमानो के आधार पर उक्त मृतक मंगरू की मृत्यु दर्शाया गया है। प्रस्तुत मामलें के विवेचना में काफी समय लगना सम्भावित है। तद्नुसार उक्त कथनों के आधार जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से सूची से दिये गये निम्न कागजाद सम्पूर्ण फर्दअहकाम रिजवान अहमद आदि बनाम पारस आदि न्यायालय उप संचालक चकबंदी गोरखपुर मु0 सं0-293/2023, दावा

निगरानी सं0-1164/2023 रिजवान अहमद आदि बनाम पारस आदि की सत्यप्रतिलिपियां, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-528 बी.एन्.एस.एस नं0-31327/2025 एवं फौजदारी प्रकीर्ण रिट याचिका सं0-20608/2024 में पारित आदेशों की छायाप्रतियां एवं खसार/गाटा सं0-774 एवं 745 ग्राम हरैया तहसील सदर जनपद गोरखपुर से संबंधित उद्धरण खतौनी की प्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपने तर्क में कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ षडयंत्र रचकर फर्जी कागज तैयार कराके धोखाधड़ी व जालसाजी से हेरा-फेरी करके वादी मुकदमा की पैतृक जमीन हड़पने ली गयी। आवेदक/ अभियुक्त द्वारा कारित किया गया अपराध दस वर्ष तक अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. सम्बन्धित थाने से प्राप्त केस डायरी एवं प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित हुआ कि प्रश्नगत मामले के वादी मुकदमा रिजवान अहमद के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं0 प्र 0 सं0 न्यायिक दण्डाधिकारी गोरखपुर के न्यायालय में योजित किया गया, जिस पर सुनवाई उपरान्त संबंधित न्यायालय द्वारा वादी मुकदमा रिजवान अहमद के प्रार्थना पत्र को दिनांक 30.09.2024 को स्वीकार करते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को प्रश्नगत मामले में अभियोग पंजीकृत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में प्रश्नगत मामला मु0 अ 0 सं0- 517/2024 के रूप में दिनांक 15.10.2024 को आवेदक/अभियुक्त अब्दुल कलाम एवं सहअभियुक्तगण पारस यादव, विन्देश्वरी यादव, रामबहाल, अनवर अली, आलमगीर, समसुद्दीन, मल्लू, पुरूषोत्तम मिश्रा, बट्टू, जाबिर व साजिद के विरूद्ध अन्तर्गत धारा-419, 420, 467, 468, 471, 504, 506, 120-B भा0 दं0 सं0 में पंजीकृत किया गया, जिसमें वाद विवेचना सहअभियुक्तगण विन्देश्वरी यादव व पारस यादव के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-419, 420, 467, 468, 471 भा0 दं0 सं0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचना प्रचलित रखी गयी। वादी मुकदमा रिजवान अहमद द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा-161 दं0 प्र 0 सं0 में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। प्रपत्रों के अवलोकन से यह भी विदित हुआ कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर कूटरचित सुलहनामा तैयार कर मृतक मंगरू एवं अन्य व्यक्तियों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर वादी मुकदमा रिजवान अहमद के साथ हाईवे की जमीन अपने व अपने खानदान का नाम दर्ज कराते हुए छल करके प्राप्त किया जाना एवं कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग करके स्वयं के लिए लाभ प्राप्त किया जाना बताया जाता है। अभियोजन द्वारा जिस फर्जी सुलहनामे के आधार पर बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी द्वारा दिनांक 04.06.2016 को आदेश पारित कराया जाना बताया जाता है, उस पर मंगरू व अन्य के हस्ताक्षर जालसाजी से बनाये जाना बताया जाता है, जिसमें मंगरू की मृत्यु 2008 से पूर्व ही होना बताया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है।

8. अतः उपरोक्त मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण–दोष पर कोई भी विचार व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार, आवेदक/ अभियुक्त अब्दुल कलाम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-517/ 2024 धारा- 419, 420, 467, 468, 471, 120-B, 504, 506 भा०दं०सं० थाना- गीडा जनपद- गोरखपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **<u>निरस्त</u>** किया जाता है।

(शमीम अहमद अंसारी)
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश
(रेप एण्ड पाक्सो) कोर्ट सं०-2 गोरखपुर।

Digitally signed by SHAMIM AHMAD ANSARI
Date: 2026.03.19 16:52:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court